

प्रेषक,
निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,
प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
सुल्तानपुर प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
नं० 1 करल इण्डस्ट्रीयल एस्टेट लखनपुर
सुल्तानपुर।

पत्रांक: 5447/टी-3/रा०प०/मा०सं०संस्तुति/ लखनऊ : दिनांक : 18/9/2011
विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केन्द्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 14-05-2011 पर दिनांक 30-06-2011 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायधार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबन्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी०जी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	SCIR-14/05/11 W.e.f. Aug 2011
2-	Fitter 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	

DGET-6/24/74/2011 -TC DATED 30/06/2011

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस०सी०आई०आर०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस०आई०आर०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी०आई०आर०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू०सी०-विचाराधीन
- (5) एन०आर०-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन०सी०-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतलाई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समवान्तगत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतिपों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

राहुल देव
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)

पत्रांक 5447/टी-3/रा०प०/मा०सं०संस्तुति/ तददिनांकित

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्षु) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत कराये।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

राहुल देव
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)